न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/558/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. बालुराम पिता स्व0 नगजीराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

––वादी

बनाम

1. जगदीश चन्द्र पिता नगजीराम जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार एवं सबरजिस्ट्रार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. पटवारी पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रतिवादीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 :–

निर्णय दिनांकः 13.01.2026

–:निर्णयः–

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि–

1. यह कि उक्त प्रकरण वास्ते जवाबदावा हेतु नियत है मगर मैं प्रार्थी अपने जवाबदावे के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए निम्न कानूनी आपत्तियां पेश करता हुँ जिस पर पुरे प्रकरण का निस्तारण सम्भव है।
2. यह कि उक्त वाद खातेदार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है।
3. यह कि उक्त दावें की कॉलम संख्या 3 में वादी ने मुझ प्रतिवादी का हिस्सा एक लाख इक्वान हजार रूपये में अंपजीकृत विक्रयपत्र से खरीदने का कथन किया है जबकि इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर प्रकरण राजस्व न्यायालय आपमें चलने योग्य ही नही है व इस दस्तावेज से वादी को कानूनन कोई हक व अधिकार न्यायालय आपसे प्राप्त नही हो सकता है एवं इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर खातेदारी की घोषणा भी नही की जा सकती है।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 सरकारी कर्मचारी है इनको दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस भी वादी द्वारा नही दिया गया है एवं न ही वाद पेश करने से पूर्व नोटिस से अभिमुक्ति हेतु आवेदन पेश किया गया है व न ही इस बाबत अपने वादपत्र में कोई कथन किया है जिससे भी कानूनन उक्त वाद चलने योग्य नहीं है।
5. यह कि उक्त बिन्दुओं पर इस पुरे प्रकरण का निस्तारण सम्भव है।

अतः प्रार्थना है कि आवेदन स्वीकार फरमा प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त फरमाई जावें व हर्जा खर्चा दिलाया जावें।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब वादी की ओर से निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि–

1. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 1 अस्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 2 स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 3 का जवाब है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी वादी को बेची थी जिसका इकरार नामा वादी के पक्ष में लिखा था इसलिए उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय आपमें पेश कर रखा है और खातेदारी घोषणा का वाद श्रीमान् को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको ही है अन्य तथ्य अस्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 4 अस्वीकार है सरकारी कर्मचारीगण केवल आवश्यक (फोरमल) पक्षकार है इसलिये इनको धारा 80 (2) सीपीसी के नोटिस की आवश्यकता नही है।
5. प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 5 अस्वीकार है प्रतिवादीगण ने गलत तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है ताकि वादपत्र को लम्बा किया जा सके।

अतः प्रार्थना है कि बाद कार्यवाही प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व निवेदन किया कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी देना एवं विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 की उपधारा (घ) के अन्तर्गत विधि वर्जित होकर राजस्व न्यायालय की क्षेत्राधिकार में न होने से चलने योग्य नहीं है। साथ ही निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. 2017(2) RRT 1100

वकील वादी/अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी वादी को बेची थी जिसका इकरार नामा वादी के पक्ष में लिखा था इसलिए उक्त आराजी की खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय आपमें पेश कर रखा है और खातेदारी घोषणा का वाद श्रीमान् को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको ही है, अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 खारिज फरमाया जावें। साथ ही निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

1. 2025(1) RRT 41
2. 2012(4) RLW 3371 S.C.
3. 2024(2) RRT 1034

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। अतः उक्त वाद पत्र में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के बिन्दु (घ) के अन्तर्गत विधि वर्जित होकर उक्त वाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही होने से वाद चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन